न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 सं0 $\frac{02}{03}/\frac{11-12}{2013}$ राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल पे0 आनन्दी प्रसाद जायसवाल, ग्राम–रामपुर थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। पत्र प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{02}{03}/\frac{11-12}{2013}$ राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल पे0 आनन्दी प्रसाद जायसवाल, ग्राम–रामपुर थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 619 दिनांक 12.03.2011 से बिछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि उपभोक्ताओं के शिकायत पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी के संयुक्त जॉच प्रतिवेदन कि बिक्रेता द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने तथा किरासन तेल तीन लीटर के जगह ढाई लीटर देने के आरोप में बिक्रेता से ज्ञापांक 523 दिनांक 08.03.2011 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये ज्ञापांक 619 दिनांक 12.03.2011 द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उनके गॉव में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति के तहत किसी व्यक्ति के बहकावे में लाकर उपभोक्ताओं द्वारा जान से मार देने की धमकी दिया गया था जिसके डर से वे सूचना पट्ट पर अंकित कर गॉव से बाहर चले गये थे और धमकी के डर से वितरण नहीं किया गया था। उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को पढ़े बिना अनुज्ञप्ति रद्द का आदेश पारित किया गया है, जो कानूनसंगत नहीं है तथा कानून के तहत निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग करने, सुनवाई कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवंटन चालू करने कां अनुरोध किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गोगरी प्रखंड अन्तर्गत रामपुर पंचायत के बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 07.03.2011 को शिकायत किया गया कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा	

for sale. 23/10/17

उपभोक्ताओं ने अनुमंडल कार्यालय गोगरी आकर भी शिकायत एवं प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 08.03.2011 का स्वय बिक्रेता श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल के दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान बन्द पाये जाने के कारण बिक्रेता से ज्ञापांक 523 दिनांक 08.03.11से स्पष्टीकरण पूछते हुए वितरण से संबंधित सभी कागजात की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के साथ वितरण से संबंधित किसी भी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और इस कारण बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

उपभोक्ताओं के शिकायत पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को संयुक्त रूप से जॉच हेतु दिया गया। संयुक्त जॉच प्रतिवेदन मे लिखित एवं मौखिक उपभोक्ताओं के ब्यान के आधार पर बिक्रेता राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने तथा किरासन तेल तीन लीटर के जगह ढाई लीटर देने के आरोप में बिक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा किया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल की अनुज्ञप्ति सं0–2, जी0/07 को रद्द किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि बिक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से मिलकर शिकायत एवं प्रदर्शन करने कि बिक्रेता द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने तथा किरासन तेल 03 लीटर के जगह ढाई लीटर देने के आरोप पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन तथा बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के साथ मांगे गए वितरण से संबंधित किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण बिक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में बिक्रेता स्वयं स्वीकार किया है कि खाद्यान्न का उठाव किये है, लेकिन धमकी के डर से वितरण नहीं किये हैं। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है कि धमकी के डर से उनके द्वारा वितरण नही किया गया। बिक्रेता के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि बिक्रेता पर उपभोक्ताओं द्वारा लगाया गया आरोप सही है।

अपीलार्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त समय दिया गया। परन्तु अपीलार्थी के अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें अपने अपील आवेदन के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी पारित आदेश नियमसंगत है। अत अपील आवेदन खारीज योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 619 दिनांक 12.03.2011 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया।

समाहर्त्ता
खगड़िया।

V

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0 382 / विधि, दिनांक 18/10/2012

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि, शाखा
खगड़िया।
18/10/12